

कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर

वन भवन, मोहता पार्क के सामने, चेतक सर्किल, उदयपुर-313001

✉ ccf.udpur.forest@rajasthan.gov.in;

☎ 0294-2424748; 0294-2418137.

क्रमांक एफ 5 () मुवसं/एफसीए/2024-25/ 783

दिनांक :- 27/1/25

निमित्त,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर

विषय:- Diversion of 6.54 ha forest land in favour of Ajmer Vidyut vitran Nigam Limited for creation of 33 KV line to new grid sub-station Jogniya Mata, Chittorgarh Territorial Division. District-Chittorgarh(Rajasthan) (Proposal No. FP/RJ/TRANS/50545/2020)

प्रसंग:-पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय, गांधीनगर, का पत्र दिनांक 08.01.2025 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय, गांधीनगर, का पत्र दिनांक 08.01.2025 से आलौच्य प्रकरण 5.00 हैक्टर से अधिक वन भूमि के डायवर्जन के लिए होने से पी.एस.सी.(PSC) की अनुशंसा चाही गई है, जिसके परिप्रेक्ष्य में वनमण्डल, चित्तौड़गढ़ द्वारा उनके पत्रांक एफ () एफ.सी.ए./उवसं/2024-25/949-52 दिनांक 17.01.2025 से उनकी अनुशंसा के साथ पत्र सदस्य सचिव, एफसीए, पी.एस.सी., जयपुर को देते हुए प्रति इस कार्यालय को भिजवाई गई है।

अतः इस कार्यालय की सहमति के साथ प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु ऑनलाईन प्रेषित है।
संलग्न:- उपरोक्तानुसार

भवदीय

(सुनील चिद्री)

संभागीय मुख्य वन संरक्षक
उदयपुर

क्रमांक एफ 5 () मुवसं/वसु /2024-25/ 784

दिनांक :- 27/1/25

प्रतिलिपि:- उप वन संरक्षक, चित्तौड़गढ़ को उनके पत्रांक 949-52 दिनांक 17.01.2025 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।

संभागीय मुख्य वन संरक्षक
उदयपुर

Signature valid

Digitally signed by Sunil Chidri
Designation: Chief Conservator Of
Forest
Date: 2025.01.27 14:23:01 IST
Reason: Approved



राजस्थान सरकार

कार्यालय उप वन संरक्षक, चित्तौड़गढ़ (राज0)

(वन विभाग परिसर, प्रताप सभिल, चित्तौड़गढ़-312001; Ph&Fax :01472-241049; email : def.chitor.forest@rajasthan.gov.in)

पत्र क्रमांक : एफ () एफ.सी.ए./उवसं/2024 -25/ ५4९

दिनांक : 17.01.2025

निमित्त

सदस्य सचिव,

PCA- पी.एस.सी. जयपुर

विषय :- Diversion of 6.54 ha of forest land in favour of Ajmer Vidyut Vitran Nigam Limited for creation of 33 KV line to new grid sub-station Jogniya Mata, Chittorgarh Territorial Division. (Proposal No. FP/RJ/TRANS/50545/2020)

प्रसंग :- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय, गांधीनगर का पत्र क्रमांक दिनांक 8.1.2025

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय, गांधीनगर के पत्र दिनांक 8.1.2025 के द्वारा प्रकरण संख्या FP/RJ/TRANS/50545/2020 अन्तर्गत 5 हैक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र होने के कारण पी.एस.सी. द्वारा अनुमोदन चाही गई है। अतः मूल ही पी.एस.सी. द्वारा आवश्यक कार्यवाही के लिये प्रेषित है।

भवदीय

(विजय शंकर पाण्डेय)

उप वन संरक्षक,
चित्तौड़गढ़

पत्र क्रमांक : एफ () एफ.सी.ए./उवसं/2024 -25/ ९50 -5२

दिनांक : 17.01.2025

प्रतिलिपि :-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए, राजस्थान - जयपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित है।
2. संभागीय मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर
3. सहायक अभियन्ता, (प व स) अ.वि.वि.नि. लि., बेगू

उप वन संरक्षक,
चित्तौड़गढ़